ओमप्रकाश बनाम ओमप्रकाश

41/2024

23/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/वादी उपस्थित। वास्ते साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दिनांक 20/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

20/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं। वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दि० 10/7/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

10/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु न्यायहित में एक और अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 25/7/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

25/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। [illegible] वादी [illegible] किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:58:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपर

वादपत्र संख्या 41 /20

1. ओमप्रकाश पु
सांगानेर जिल

1. ओमप्रकाश श
देव रोड जिल

श्रीमान,

वादी का वा

1. यह कि वादी
भू-अभिलेख निरी
प्रांत में स्थित कृ
658 रकबा 0.29
771 रकबा 0.26
773 रकबा 0.02
775 रकबा 0.39
नम्बर 783 रकब
खसरा नम्बर 78
05 हैक्टेयर कुल
षि भूमि सम्पूर्ण
2. यह कि वादपत्र
पश्चात वादी के
आई तत्पश्चात

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 41/2024
निर्णय दिनांक : 25.07.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व० गोपाल जाति खादी निवासी ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
वादी

वनाम

1. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व० बीरवल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मुकाम पारट देव रोड जिला झुन्झुनु
– प्रतिवादी

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञ

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सायपुरा अन्तर्गत पटवार क्षेत्र शिकारपुरा व भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रांत में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 615 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 658 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 770 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 771 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 7/2 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 773 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नंबर 775 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसर, नम्बर 784 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 785 रकबा 0.24 हैक्टेयर व खसरा नंबर 774 / 831 रकबा 0. 05 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 3.46 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। उक्त कृ षि भूगि सम्पूर्ण में वादी का 1/20 हिस्सा सम्पूर्ण रही है। वादपत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित भूमि का विभाजन होने के पश्चात वादी के हिस्से ने खसरा संख्या 775/1 रकबा 0.09 हैक्टयर भूमि आई तत्पश्चात खसरा संख्या 775/1 रकबा 0.09 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखो मे वादी का नाम अंकित कर दिया गया है। उक्त भूमि ही वाद मे विवादग्रस्त है। वादी विवादग्रस्त भूमि पर काबित काश्तकार है तथा वादी ही विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है। दिनांक 24/12/2023. को प्रतिवादी के साथ चार–पांच अपरिचित व्यक्ति‍त वादग्रस्त भूमि की नाप–जोख करते मिले। इस पर वादी ने प्रतिवादी से वादग्रस्त भूमि पर आने तथा वादग्रस्त भूमि की नाप–जोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादी ने कहा कि हम कॉलोनाइजर्स है इसलिये इस वादग्रस्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसायेंगे। जिस पर वादी ने कहा कि विवादग्रस्त भूमि मे आपका किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है तथा हाल राजस्व अभिलेखो मे वादी काबिज काश्तकार है तथा विवादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग में आपको बाधा कारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है इतने में वादग्रस्त भूमि पर आस–पास के खातेदार व अन्य लोग भी इकत्रित हो गये। वादी व मौदूद लोगो के समझाने पर उस वक्त तो प्रतिवादी चले गये परन्तु जाते–जाते प्रतिवादी ने वादी को एलानियां धमकी दी कि हम शीघ्र ही और अधिक दल–बल के साथ आयेगे और तुम्हारे को उक्त उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर कब्जा करेगे तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसायेगे। वादी प्रतिवादी की बेजा कार्यवाही का विरोध करने में असक्षम है इसलिये वादी को माननीय न्यायालय में वाद संस्थित कर उचित अनुतोष ... अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। वादी अधिकारी है कि प्रतिवादी को जरिये स्थ... से प्रतिबन्धित करावे कि वह विवादग्रस्त भूमि मे वादी के कब्जे काश्त ... हस्तक्षेप स्वयं करे और ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से कराये। वादी को वाद ... दिनांक 24/12/2023 के उक्त घटनाक्रमो से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। इसलिये वादी को मान्य न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। भूमि विवादग्रस्त ग्राम ...पुरा अन्तर्गत पटवार क्षेत्र शिकारपुरा व भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को दावा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हकदुआ दादरसी निम्न प्रकार है:-

(क) वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादग्रस्त भूमि मे वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार ना तो स्वयं हस्तक्षेप करे और ना ही किसी अन्य से करावें एवं उपरोक्त अनुतोष के साथ अथवा उसके अलावा जिस किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का वादी अधिकारी हो वह भी वादी को दिलाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, दिनांक 16.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद रजिस्टर डाक सूचना अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे विवादग्रस्त भूमि मे वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार ना तो स्वयं हस्तक्षेप करे और ना ही किसी अन्य से करावें एवं उपरोक्त अनुतोष के साथ अथवा उसके अलावा जिस किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का वादी अधिकारी हो वह भी वादी को दिलाया जावें।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी तहसील सांगानेर को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश करे, तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी की ओर से पेश सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण करे। सीमाज्ञान पश्चात् वादी की सीमाओं में प्रतिवादीण को पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की कब्जे काश्त में दखल नही दे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:58:57 IST
Reason: SelfAttested